

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग


ज्ञाप संख्या-9/विविध-(जयघोष)-04-17/2018  
सेवा में,

3746 (S)


पटना, दिनांक - 28/3/19

कार्यपालक अभियंता,  
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, मधेपुरा।  
विषय :- सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-6417/2015 मो० मुस्तफा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-  
06.03.2017को पारित न्यायादेश के आलोक में पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-2210  
(ई०) दिनांक-18.03.2019 तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-406 दिनांक 27.03.2019 द्वारा  
देय जयघोष सूद की राशि ₹9,04,705/- (नौ लाख चार हजार सात सौ पाँच रू०) मात्र का भुगतान हेतु  
राशि का उप आवंटन।  
आदेश :- उपर्युक्त मद में ₹9,04,705/- (नौ लाख चार हजार सात सौ पाँच रू०) मात्र निधि उप आवंटित की जाती  
है।

- उपर्युक्त व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग सं०-13,  
बजट शीर्ष-2049-ब्याज अदायगियों (प्रभृत), 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, 701- विविध, 0003-विविध  
न्याय निर्णय के आलोक में व्यय, विस्तृत शीर्ष 45-ब्याज, विषय शीर्ष 01-ब्याज, विपत्र कोड-  
**13-2049.60.701.0003** के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।
- यह उप आवंटन आदेश वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञाप सं०-406, दिनांक-27.03.2019 के आलोक में  
निर्गत किया जा रहा है।
- उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, मधेपुरा  
होंगे तथा इस राशि की निकासी मधेपुरा कोषागार, से की जायेगी।
- भुगतये राशि की देयता एवं शुद्धता के संबंध में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट होने के  
उपरांत भुगतान सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्वयं जिम्मेदार समझे जायेंगे।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।


  
(हनुमान प्रसाद चौधरी)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


  
(डॉ० आलोक कुमार)  
संयुक्त सचिव (प्र०को०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या-9/विविध-(जयघोष)-04-17/2018 3746 (S) पटना, दिनांक - 28/3/19

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार  
पदाधिकारी/ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/ प्रधान सचिव कोषांग, प०नि०वि०, पटना/ अभियंता प्रमुख,  
प०नि०वि०, पटना/ मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प०नि०वि०, पटना/ मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन,  
नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षक), प० नि० वि०, पटना/ उप सचिव (प्र० को०), प०नि०वि०, पटना / सहायक  
अभियंता (अ०र०), प० नि० वि०, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-9, प० नि० वि०, पटना (पाँच प्रति)/ लेखा  
शाखा/ प्रशाखा पदाधिकारी-07, प० नि० वि०, पटना/ अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल,  
पूर्णिमा/आई०टी० मैनेजर, प० नि० वि०, पटना/ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का स्वीकृत्यादेश  
संख्या-2210 (ई०) दिनांक- 18.03.2019 तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञाप सं०-406, दि०-  
27.03.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(हनुमान प्रसाद चौधरी)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

  
(डॉ० आलोक कुमार)  
संयुक्त सचिव (प्र०को०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

